

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान सिद्धपुर दिनांक :- 27/06/23

— आदेश —

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धपुर व
 भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोला की तहसील कपासन जिला
 चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 103
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
 के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------------------------------|-------------|---|---|
| | <u>खोला</u> की <u>खोला</u> | <u>103</u> | <u>जोपी पुत्र धन्ना हिस्सा 1/48</u> <u>जाति गुर्जर</u> | <u>जोपीलाल पुत्र धन्ना</u> <u>जाति गुर्जर</u> <u>खाते इह खोला</u> |

(DA)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :- 07/07/23

क्रमांक / 215

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री खोला को सूचना
3. रक्षित पत्रावली।



(DA)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान..... सिद्धपुर

दिनांक - 27/7/23

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 21 पिंला की स्थिति स्थलील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दसमद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|------------------------|-------------|--|--|
| 1 | खुर्दा की खुर्दा | 35 | गौरी पुत्र धन्ना / 48 गुर्दा सा. देह (वर्द्धित) | गोपीलाल पुत्र धन्ना / 48 गुर्दा सा. देह वर्द्धित |

([Signature])

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :- 27/7/23

क्रमांक / 215
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दसमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

([Signature])

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)


कैम्प कोर्ट का स्थान.....सिद्धपुर.....

दिनांक - 27/6/23

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोसला की खोसला कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------------|-------------|---|--|
| 1 | खोसला की खुसला | 100 | गोपी पुत्र धन्ना 1/2 जाति गुर्जर ता-देर (पार्लेवाट) | गोपीलाल पुत्र धन्ना 1/2 जाति गुर्जर ता-देर (पार्लेवाट) |

()

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक : 27/7/2023

क्रमांक / 215

- प्रतिलिपी :-
1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
 2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
 3. रक्षित पत्रावली।

()

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़